भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4143
दिनांक 19 अगस्त, 2025 /28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एसजीपीसी संबंधी चुनाव

†4143. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य में शिरोमणि गुरुदारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के चुनाव कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचना की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी कौन हैं और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है और विशेषकर इस तथ्य के आलोक में कि ऐसे चुनाव वर्ष 2011 में हुए थे, एसजीपीसी के चुनाव कराने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सिख समुदाय के धार्मिक अधिकारों के अनुरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नियमित और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोई विधायी या प्रशासनिक उपाय प्रस्तावित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के अनुसार, गुरुद्वारा चुनाव के मुख्य आयुक्त अधिसूचना द्वारा एसजीपीसी बोर्ड के विभिन्न चरणों के चुनावों की तिथि या तिथियाँ निर्धारित करेंगे, जिसमें मतदान की तिथि भी शामिल होगी। मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव की अध्यक्षता में गुरुद्वारा चुनाव आयोग चुनाव के संचालन के लिए नामित प्राधिकारी है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 4143, दिनांक 19.08.2025

सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव की नियुक्ति के नियमों की अधिसूचना और विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किये गए कई संबंधित अदालती मामलों के समाधान के बाद किया गया है।

तदनुसार, सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव के मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया, जिन्होंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक और चंडीगढ़ प्रशासन के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 48 के अनुसार एसजीपीसी के नए बोर्ड के गठन के लिए एसजीपीसी चुनावों हेतु मतदाता सूची की तैयारी शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की।

इस बीच, मतदाता सूची तैयार करने और अन्य संबंधित मुद्दों को चुनौती देते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश दिया है।

****